22/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी/जवाब~~
दिनांक 07/10/22 को पेश हो।

07/10/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/10/22 पेश हुई।

13/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
पत्रावली पूर्वानुसार ~~जवाब~~
दिनांक 28/10/22 को पेश हो।

28/10/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/11/22 पेश हुई।

04/11/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/11/22 पेश हुई।

10/11/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/11/22 पेश हुई।

18/11/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/01/23 पेश हुई।

17/01/23
पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उप०।
अप्रार्थी नं० 1 अनु०। इनको बार-बार
आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार
किया गया। लेकिन अप्रार्थी नं० 1
बावजूद [illegible] है अनुपस्थित।

फर्द अहकाम

हीरादेवी **बनाम** मन्नीदेवी वगै०

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

-/2022

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	अतः अप्रार्थी नं० 1 बाबूलाल (पूरचन्द) के अनु० रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैरोकार सरकार की बहस सुनने पर तथा पत्रावली का अवलोकन कर पर प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली कॉलम शुमार होकर नकल निकल हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	